संख्या-26/ 2026/ 875/ नत्रह-म-2026-17-1099/146/2025

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
अपर मुख्य सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तर प्रदेश।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ:दिनाक 25 मई, 2026

विषयः प्रदेश में स्टेट ऑफ़ आर्ट होल सेल फिश मंडी, एकीकृत एक्वापार्क, फिश प्रसंस्करण सेंटर आदि के स्थापना हेतु योजना को संचालित/ क्रियान्वयन हेतु दिशा- निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 295/नि0श्र0/दिशा- निर्देश/ 2026-27 दिनांक 07.05.2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में स्टेट ऑफ़ आर्ट होल सेल फिश मंडी, एकीकृत एक्वापार्क, फिश प्रसंस्करण सेंटर आदि के स्थापना हेतु योजना को सम्यक विचारोपरान्त क्रियान्वयन/संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- प्रदेश में स्टेट ऑफ़ आर्ट होल सेल फिश मंडी, एकीकृत एक्वापार्क, फिश प्रसंस्करण सेंटर आदि के स्थापना हेतु योजना के क्रियान्वयन से सम्बंधित विवरण/ दिशा- निर्देश निम्नवत हैं-

योजना के दिशा-निर्देश

1.योजना का उद्देश्य

प्रदेश में "स्टेट ऑफ आर्ट होल सेल फिश मंडी, एकीकृत एक्वापार्क, फिश प्रसंस्करण सेंटर" आदि एक आधुनिक और समग्र काम्प्लेक्स तैयार करने के उद्देश्य से योजना संचालित की जा रही है। यह योजना प्रदेश के जनपद गोरखपुर एवं मुरादाबाद में संचालित की जाएगी। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रदेश के जनपद गोरखपुर में लगभग 27 एकड़ की भूमि चिन्हित कर की गई है। जनपद **गोरखपुर** की उपलब्ध भूमि पर "स्टेट ऑफ आर्ट होल सेल फिश मंडी, एकीकृत एक्वापार्क एवं फिश प्रसंस्करण सेंटर" जैसी सुविधाओं के साथ एक आधुनिक और समग्र काम्प्लेक्स विकसित किया जाना है। इसके अतिरिक्त जनपद **मुरादाबाद** में लगभग 4.84 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है जहां "स्टेट ऑफ आर्ट होल सेल फिश मंडी" स्थापित की जाएगी। योजना अंतर्गत मत्स्य पालन, प्रसंस्करण, विपणन एवं मत्स्य पालन पर आधारित एक बहुउद्देशीय पर्यटन स्थल विकसित करना है जिसमे जलीय कृषि, मनोरंजन, जल-पर्यटन और जल-आधारित गतिविधियों को भी एकीकृत किया जायेगा। एकीकृत एक्वापार्क एवं मत्स्य मंडी को परिकल्पना मत्स्य पालन और जलीय कृषि मूल्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों/पहलुओं को शामिल करते हुए विविध मत्स्य पालन गतिविधियों/सुविधाओं के केंद्र विकसित करने के उद्देश्य से की गई है। यह आधुनिक काम्प्लेक्स

सम्पूर्ण मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला के लिए सिंगल विंडो के रूप में कार्य करेगा जो मत्स्य पालन की समस्त गतिविधियों, मछुआरों, मछली किसानों, प्रसंस्करण कर्ताओं, खुदरा विक्रेताओं एवं थोक विक्रेताओं को एक साथ जोड़कर optimum उत्पादन के लिए स्थान तथा संसाधन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगा साथ ही स्थानीय मत्स्य पालको, व्यवसाइयों आदि को रोजगार के सुलभ साधन उपलब्ध कराएगा।

2.योजना का औचित्य

उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन पिछले 10 वर्षों में अभूतपूर्व रूप से विकसित हुआ है यह योजना मीठे पानी की मछलियों विशेषकर पंगेसीयस प्रजाति की मछली उत्पादन, वितरण एवं मार्केटिंग में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक कदम होगा, जिससे उत्तर प्रदेश से देश के अन्य राज्यों एवं समवर्ती देश (नेपाल) में जलीय कृषि, व्यापार और मछलियों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना के कार्यान्वयन से क्षेत्र में व्यापार और जन सामान्य के उपभोग के लिए अच्छी गुडवत्ता की मछलियों की उपलब्धता में वृद्धि होगी। इस प्रकार के बहुद्देशीय एकीकृत एक्वापार्क के निर्माण होने से मत्स्य पालन को इस क्षेत्र में क्लस्टर के रूप में विकसित किया जा सकेगा। एक्वापार्क की कल्पना उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन और निर्यात के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करके मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए की गई है। गोरखपुर में, यह प्रस्ताव इंडो-गंगा के मैदान में जलीय भूगोल और व्यापक भूजल की उपलब्धता से लाभान्वित होगा, जो मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करेगा और लगभग तीन हजार स्थानीय मछली विक्रेताओं के लिए रोजगार के नए अवसर प्रदान करते हुए आजीविका में सुधार करेगा। इसके अलावा बोटिंग जैसी पर्यटक सुविधाएं भी स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगी। इस प्रकार की परियोजना से मत्स्य प्रतिनिधियों में आधुनिक तकनीकों को एकीकृत करते हुए किसानों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जिससे मछली उत्पादन और उत्पादकता में बढ़ोतरी होनी एवं स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगी, जिससे मत्स्य पालन क्षेत्र आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनता है एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सहयोग प्रदान किया जा सकेगा।

3.योजना का कार्यान्वयन

"स्टेट ऑफ आर्ट होल सेल फिश मंडी, एकीकृत एक्वापार्क, फिश प्रसंस्करण सेंटर"आदि एक आधुनिक और समग्र काम्प्लेक्स चोजना PPP मॉडल पर काम करेगा। मत्स्य विभाग योजना का निर्माण और स्वामित्व करेगा, जबकि योजना का संचालन, प्रबंधन राजकीय मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण आदि PPP के माध्यम से संचालन/ क्रियान्वयन हेतु सौप दिया जाएगा। इस कार्य हेतु इच्छुक पक्षों (प्राइवेट अथवा गवर्नमेंट संस्था) से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित किए जाएंगे एवं संस्थाओं का चयन शासनादेश में निहित नियमों और विनियमों के आधार पर किया जाएगा। **उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग (Directorate of Fisheries, UP) मुख्य क्रियान्वयन एजेंसी** होगी एवं इस हेतु नोडल एजेंसी होगी।

यह योजना प्रदेश के गोरखपुर जनपद में संचालित की जायेगी। गोरखपुर के ताल कंदला

क्षेत्र में 27 एकड़ भूमि को "स्टेट ऑफ आर्ट होल सेल फिश मंडी,एकीकृत एक्वापार्क एवं फिश प्रसंस्करण सेंटर आदि "एक आधुनिक और समग्र काम्प्लेक्स के लिए चिह्नित किया गया है। जनपद गोरखपुर का चयन क्षेत्र के भौगोलिक और जल संसाधन संबंधी विशिष्टताओं के आधार पर किया गया है। जनपद गोरखपुर इंडो-गंगा मैदान में स्थित, उत्कृष्ट जलीय भूगोल और व्यापक भूजल उपलब्धता (अधिकांश ब्लॉक 'सुरक्षित' श्रेणी में हैं)। यहाँ भूजल स्तर उथला है, जो जलीय कृषि के लिए उपयुक्त है योजना के संचालन से स्थानीय मछली व्यवसाय को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। यह एक व्यापक केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जो मत्स्य पालन से जुड़े सभी हितधारकों को अत्याधुनिक सुविधाएं पदान करेगा। इसके अंतर्गत, मत्स्य बीज उत्पादन के लिए हैचरी और मत्स्य बीज बैंक स्थापित किए जाएंगे, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले बीज की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। आधुनिक तकनीकों जैसे री-सर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (RAS)/बायोफ्लाक आदि नवीनतम तकनिकियों का उपयोग करके मछली पालन का प्रदर्शन उत्कृष्टता केंद्र (demonstration center) विकसित करके किया जाएगा, जिससे उत्पादकता बढ़ाने में सहायता मिलेगी । इसके अलावा, पार्क में मछली प्रसंस्करण इकाइयां, कोल्ड स्टोरेज और बेहतर लॉजिस्टिक्स सुविधाएं भी होंगी, जो मत्स्य उत्पाद के नुकसान को कम करके किसानों की आय में वृद्धि करेंगी। उक्त के अलावा एक्वेरियम हाउस, बोटिंग, जल- पर्यटन जैसे सुविधाएं जिसमे एक्वा प्रदर्शनी, फ्लोटिंग रिसोर्ट, कैफ़े, लाइव फिश सेलिंग एंड ईटिंग एरिया, इको-पार्क्स, सनसेट पॉइंट, वाटर स्पोर्ट्स इत्यादि भी स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगी।

योजना हेतु प्रविधानित धनराशि:- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस योजना हेतु प्रथम चरण में कुल ₹ 10000.00 लाख की धनराशि का प्रविधान किया गया है।

3.1 योजनांतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की जायेंगी –

1. **स्टेट ऑफ आर्ट होल सेल फिश मंडी (02)**
2. **एकीकृत एक्वापार्क**
3. **मत्स्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना**

3.1.1 स्टेट ऑफ आर्ट होल सेल फिश मंडी

इस परियोजना का मूल उद्देश्य मत्स्य उत्पादों के प्रभावी उपयोग और नुक्सान को कम करके घरेलू स्तर पर इनकी निरंतर और स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करना है। साथ ही मत्स्य बाजार में परियोजन के माध्यम से बिचौलियों की भूमिका को कम करना और उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाना,खाद सुरक्षा ,आयात निर्यात तथा स्थानीय स्तर पर भी उच्च गुडवत्ता युक्त hygienic मछली आम जनमानस को उपलब्ध कराना है। मंडियों में आधुनिक सुविधाओं जैसे कोल्ड स्टोरेज, चिल्ड रूम, और अपशिष्ट प्रबंधन (Waste Management) प्रणालियों को लागू करना है साथ ही डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से मत्स्य बाजारों और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सीधी बिक्री को बढ़ावा देते हुए दैनिक रूप से मंडी के मूल्य आदि की जानकारी किसानों को उपलब्ध करना है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में उक्त योजना हेतु प्रविधानित बजट से प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर एवं मुरादाबाद में स्टेट ऑफ आर्ट होलसेल फिश मंडी की स्थापना का कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

स्टेट ऑफ आर्ट होल सेल फिश मंडी परियोजना अंतर्गत निम्नलिखित आवश्यक सुविधाएँ शामिल होना अनिवार्य है:

- हाइजीनिक फिश सेलिंग प्लेटफॉर्म
- कोल्ड स्टोरेज सुविधा व आइस प्लांट यूनिट
- फिश क्लीनिंग एवं वाशिंग एरिया
- वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम
- ड्रेनज सिस्टम
- डिजिटल वेइंग मशीन
- पार्किंग एवं लोडिंग-अनलोडिंग एरिया
- ई-नीलामी / डिजिटल मार्केटिंग सुविधा
- जल निकासी एवं स्वच्छता व्यवस्था
- कारों और ट्रकों के लिए पार्किंग स्थान,
- उद्यान क्षेत्र, पार्किंग
- ड्रेसिंग और सफाई कक्ष,
- मोटर और सिंटेक्स टैंक के साथ बोरवेल,
- प्रकाश व्यवस्था और वेंटिलेशन,
- आंतरिक सीसी फुटपाथ,
- आंतरिक और बाहरी नालियां,
- पुरुषों और महिलाओं के लिए शौचालय,
- सामने का एलिवेशन,
- गार्ड रूम, आदि।

3.1.1.1 योजना का क्रियान्वयन- यह परियोजना PPP मॉडल पर काम करेगा। शासन स्तर से कार्यादायी संस्था का चयन किया जाएगा तथा निर्माण उपरांत यह परियोजना PPP मॉडल के माध्यम से संचालित किया जाएगा। मत्स्य विभाग परियोजनाओं का निर्माण और स्वामित्व करेगा, जबकि योजना का संचालन और प्रबंधन सरकारी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के तहत एक निजी संस्था को सौंप दिया जाएगा।

3.1.2 एकीकृत एक्वापार्क

यह क्षेत्र मत्स्य पर्यटन, स्थानीय आजीविका तथा मत्स्य सम्बंधित गतिविधिओं के प्रति आम जन मानस के लगाव को बढ़ावा देता है। योजना अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां/कार्यक्रम प्रस्तावित है -

- मीठे पानी की उन्नत प्रजाति की मछली, जैसे पंगेसियस, तिलपिया, अमूर कार्प, अमृत कतला,ब्लैक कार्प आदि के लिए उत्कृष्टता केंद्र (demonstration center) विकसित करना।
- मनोरंजन एवं सांस्कृतिक इकाई,प्रत्यक्ष प्रदर्शन केंद्र(live demonstration centre) एवं संग्रहालय विकसित करना ।
- मीठे पानी की जलीय कृषि की नई संभावित प्रजातियों के प्रशिक्षण, प्रदर्शन, प्रसार और नवीन एवं सर्वोत्तम तकनिकियों को अपनाने के लिए केंद्र विकसित करना।
- मत्स्य उत्पाद व्यापार को बढ़ावा।
- ओरनामेंटल मत्स्य व्यपार।
- एक्वा-टूरिज्म और जल क्रीड़ा गतिविधियां, बोटिंग, जल- पर्यटन जैसे सुविधाएं जिसमे एक्वा प्रदर्शनी, फ्लोटिंग रिसोर्ट, कैफ़े, लाइव फिश सेलिंग एंड ईटिंग एरिया, इको-पार्क्स, सनसेट पॉइंट, वाटर स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों से जल कृषि हेतु public awareness/जगरुक्ता प्रदान की जाएगी।
- एक्वेरियम हाउस और शैक्षणिक सुविधाएं।
- रेस्टोरेंट और आतिथ्य सुविधाओं के साथ अतिथियों के रुकने हेतु 30 रूम के होटल का निर्माण किया जाएगा।
- इको-टूरिज्म।
- सहायक अवसंरचना जैसे पार्किंग, पार्क, आंतरिक एवं बाह्य रोड आदि।
- मछली और मत्स्य उत्पादों का विपणन।
- मछली का बाज़ार (तैयार खाने योग्य, पकाने योग्य, जीवित मछलियां, फ्रोजन और डिब्बाबंद मछली/समुद्री मछली उत्पाद) आदि।

3.1.2.1 योजना का क्रियान्वयन- शासन स्तर से कार्यादायी संस्था का चयन किया जाएगा तथा निर्माण उपरांत यह परियोजना PPP मॉडल के माध्यम से संचालित किया जाएगा। मत्स्य विभाग योजनाओं का निर्माण और स्वामित्व करेगा, जबकि योजना का संचालन और प्रबंधन नियमानुसार सरकारी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के तहत एक निजी संस्था को सौंप दिया जाएगा। इस कार्य हेतु इच्छुक पक्षों (प्राइवेट अथवा गवर्नमेंट संस्था) से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित किए जाएंगे एवं संस्थाओं का चयन शासनादेश में निहित नियमों और विनियमों के आधार पर किया जाएगा।

3.1.3 मत्स्य प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना

मत्स्य प्रसंस्करण का लक्ष्य हार्वेस्टिंग के बाद होने वाले नुकसान (Post-harvest loss) को कम करना है, जो वर्तमान में 20-25% है और जिसको 10-15% तक लाने का लक्ष्य है। योजना अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां/कार्यक्रम कराए जाएंगे

- IQF / ब्लास्ट फ्रीजर यूनिट ।
- पैकेजिंग यूनिट।
- हाइजेनिक प्लेटफॉर्म, स्टॉल और डिस्प्ले यूनिट्स।
- ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम / ई-नाम इंटीग्रेशन सिस्टम।
- चिल्ड स्टोरेज और आइस यूनिट/ कोल्ड स्टोरेज यूनिट।
- वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम।
- टेस्टिंग लैब (Freshness & Safety)।
- फिश कटिंग व प्रोसेसिंग काउंटर।
- QR कोड आधारित ट्रेसबिलिटी सिस्टम।
- मछली से रेडी-टू-ईट उत्पाद हेतु यूनिट ।
- स्टाफ हेतु आवासीय परिसर तथा स्टाफ की आवश्यक सुविधाओं हेतु ड्रेसिंग रूम ,लॉकर रूम एवं स्वछता कक्ष(hygienic facility room) आदि।

3.1.3.1 योजना का क्रियान्वयन- शासन स्तर से कार्यदायी संस्था का चयन किया जाएगा तथा निर्माण उपरांत यह परियोजना PPP मॉडल के माध्यम से संचालित किया जाएगा। मत्स्य विभाग परियोजनाओं का निर्माण और स्वामित्व करेगा, जबकि योजना का संचालन और प्रबंधन सरकारी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के तहत एक निजी संस्था को सौंप दिया जाएगा। इस कार्य हेतु इच्छुक पक्षों (प्राइवेट अथवा गवर्नमेंट संस्था) से अभिरुचि की अभिव्यक्ति (EOI) आमंत्रित किए जाएंगे एवं संस्थाओं का चयन शासनादेश में निहित नियमों और विनियमों के आधार पर किया जाएगा।

4. अनुमानित लागत एवं वित्त पोषण –

- प्रदेश में "स्टेट ऑफ आर्ट होल सेल फिश मंडी, एकीकृत एक्वा पार्क,फिश प्रसंस्करण सेंटर " आदि एक आधुनिक और समग्र काम्प्लेक्स योजना 100 प्रतिशत राज्य पोषित योजना है।
- योजना अंतर्गत निर्धारित गतिविधियों/ कार्यक्रमों आदि के स्थापना हेतु रु० 10000.00 लाख प्रावधानित हैं। योजना की वास्तविक लागत विस्तृत योजना रिपोर्ट के आधार पर आकंलित की जाएगी। योजना की घटकवार अनुमानित लागत निम्नानुसार है :-

क्रमांक	घटक	जनपद	अनुमानित धनराशि (लाख में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	स्टेट ऑफ आर्ट होल सेल फिश मंडी(02)	गोरखपुर	2400.00	योजना की वास्तविक लागत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के आधार पर आकंलित की जाएगी।
		मुरादाबाद	2400.00	
2	एकीकृत एक्वा पार्क (आईएपी)	गोरखपुर	4000.00	
3	मत्स्य प्रसंस्करण यूनिट	गोरखपुर	1200.00	
योग			1000.00	

5. परियोजना प्रबंधन, निगरानी और पर्यवेक्षण

मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन स्तर से अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं:

- **अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव – अध्यक्ष**
- **महानिदेशक मत्स्य – सदस्य**
- **निदेशक मत्स्य – सदस्य**
- **संयुक्त निदेशक मत्स्य – सदस्य**
- **मंडलीय उपनिदेशक मत्स्य – सदस्य सचिव**
- परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करने के लिए राज्य स्तरीय निगरानी समिति त्रैमासिक रूप से बैठक करेगी।
- राज्य स्तरीय निगरानी समिति कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेगी और आवश्यक मार्गदर्शन, दिशानिर्देश एवं सलाह देगी।
- समस्त आवश्यक क्लीयरेंस और अनुमति मंडलीय अधिकारी के द्वारा सभी सम्बन्धित विभागों से प्राप्त की जाएगी।

6. योजना से अपेक्षित परिणाम:

प्रदेश में स्टेट ऑफ़ आर्ट होल सेल फिश मंडी , एकीकृत एक्वापार्क, फिश प्रसंस्करण सेंटर स्थापित होने से मत्स्य उत्पादन से लेकर best practice का प्रदर्शन , प्रसंस्करण, पैकेजिंग, विपणन और प्रशिक्षण, वाटर स्पोर्टज़ जैसी गतिविधियों से मत्स्य गतिविधियों के प्रचार प्रसार से संबंधी सुविधा आदि —सब कुछ एक ही स्थान पर होता है। इन पार्कों की स्थापना का लक्ष्य जलीय कृषि

मूल्य श्रृखला को बेहतर बनाना है। इससे किसानों को गुणवत्तापूर्ण मछली बीज, चारा, मत्स्य विक्रय, प्रसंस्करण सुविधाएं और बेहतर बाजार तक पहुंच मिल सकेगी।इसके निर्माण से मछली उत्पादन और उत्पादकता में उल्लेखनीय निर्मित उत्पादों को मार्केट में उच्च वृद्धि होने के साथ साथ प्रसंस्करण इकाइयां के निर्मित होने से आयात निर्यात , मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्माण आदि में मदद मिलेगी, जिन्हें बेहतर कीमतों पर बेचा जा सकेगा, जिसके फलस्वरूप मत्स्य किसानों की आय बढ़ेगी। यह परियोजना के निर्माण से मत्स्यिकी गतिविधियाँ जैसे मछली फ़ीड निर्माण, कोल्ड स्टोरेज और परिवहन आदि को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे व्यापक आर्थिक विकास होगा। सामाजिक स्तर पर, परियोजना हजारों लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेगी, विशेषकर स्थानीय मछली पालकों के लिए प्रशिक्षण और मत्स्य बाजार से direct लिंक हो सकेगा। अतः प्रस्तावित स्टेट ऑफ़ आर्ट होल सेल फिश मंडी, एकीकृत एक्वापार्क, फिश प्रसंस्करण सेंटर उत्तर प्रदेश के मत्स्य पालन क्षेत्र को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। स्टेट ऑफ़ आर्ट होल सेल फिश मंडी, एकीकृत एक्वापार्क, फिश प्रसंस्करण सेंटर एक समग्र काम्प्लेक्स के निर्माण होने से निम्न लाभ होंगे:

- मत्स्य पालकों को उनके मत्स्य उत्पाद का सीधे विक्रय का मौका मिलेगा एवं बिचौलियों की भूमिका कम होगी, जिससे मत्स्य पालकों को बेहतर मूल्य मिलेगा
- उत्पादन से लेकर बिक्री तक एक ही स्थान -हैचरी, फीड, दवाएं, तालाब, अन्य आवश्यक सामग्री,प्रोसेसिंग और मंडी की सुविधा सब एक ही परिसर में उपलब्ध हो सकेगा।
- प्रोसेसिंग यूनिट के स्थापित होने से पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम किया जा सकेगा।
- मत्स्य मंडी स्थापित होने से लगातार ताज़ा मछली उपलब्ध रहेगी।
- Testing labs और hygienic handling से एक्सपोर्ट क्वालिटी उत्पाद तैयार होंगे।
- मूल्य-वर्धन में वृद्धि ,ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित की जा सकेगी
- पोस्ट हार्वेस्ट उत्पाद में लॉस को कम किया जा सकेगा।
- रोजगार सृजन ,ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगा।
- स्थानीय स्तर पर फीड, आइस फैक्ट्रियां, ट्रांसपोर्ट, पैकिंग आदि व्यवसाय बढ़ेंगे।
- एक्वेरियम हाउस, बोटिंग, जल- पर्यटन जैसे सुविधाएं जिसमे एक्वा प्रदर्शनी , फ्लोटिंग रिसोर्ट, कैफ़े, लाइव फिश सेलिंग एंड ईटिंग एरिया, इको-पार्क्स, सनसेट पॉइंट, वाटर स्पोर्ट्स इत्यादि भी स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगी।
- एक्वापार्क प्रोसेसिंग केंद्र से अंतरराष्ट्रीय मानक लागू कराते हुए निर्यात को बढ़ावा दिया जायेगा।
- प्रशिक्षण एवं प्रारक्षण के माध्यम से किसानों को अधतान तकनीकों से प्रशिक्षित करते हुए तकनीकी रूप से दक्ष किया जाएगा।

वर्तमान में मत्स्य पालन क्षेत्र राज्य की कुल GSDP में लगभग 0.644% का योगदान दे रहा है और 2027-28 तक राज्य के GSVA में रु०45000 करोड़ का योगदान देने का लक्ष्य है जिसके सा थ मत्स्य पालन विभाग राज्य की एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु प्रतिबध्द है। उपरोक्त उल्लिखित गतिविधियों के संचालित होने से प्रदेश की चन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था तथा विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के मत्स्य विभाग के प्रस्तावित लक्ष्यों को (मार्च 2028 तक 45,000 करोड़, मार्च 2030 तक 55,000 करोड़ एवं मार्च 2047 तक 1.20 लाख करोड़ GSVA) प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

3- यह भी सुनिश्चित किया जाय कि योजना के संचालन में द्विरावृत्ति न हो।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Digitally signed by
MUKESH KUMAR MESHRAM
Date: 23-05-2026 15:44:52

(मुकेश कुमार मेश्राम)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-26 /2026 /873(1) / सत्रह-म-2026 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन/सिंचाई/ग्राम्य विकास/ वित्त/ कृषि/ पंचायतीराज/ संस्थागत वित्त/ कार्मिक / खाद्य एवं प्रससकरण / राजस्व विभाग एवं नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. विशेष कार्याधिकारी,कृषि उत्पादन आयुक्त,उ0प्र0 शासन।
4. मुख्य कार्यपालक, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद, तेलंगाना ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 लखनऊ।
9. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री, प्रयागराज को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
10. सम्न्वयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बैंक आफ बडौदा उ0प्र0 लखनऊ।
11. समस्त उप निदेशक मत्स्य, उ0प्र0।
12. समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी उ0प्र0।
13. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/ अधिशासी निदेशक, मत्स्य पालक विकास अभिकरण उ0प्र0।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम चरन राम)
उप सचिव।